10 Rs. COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

10 Rs. COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

२७५

-1-

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE GWALIOR,CAMP AT JABALPUR

REVENUE REVISION APPLICATION NO.----------OF 2003

Deleted vide order Dt. 11.10.12 — 11.10.12 Advocate

R-1978-III/03

01. Shri Keshav Choubey

02. Shri Ram Milan Choubey

03. Shri Narendra Choubey

All son of Shri Dayaram Choubey

All R/O:Village: Ghat Simaria

Tahsil:Sihora District: Jabalpur

दिनांक 9-12-03 को श्री विजय पाठी अधि० द्वारा जबलपुर कैम्प पर प्रस्तुत। 9-12-03

..**REVISIONISTS**

VERSUS

Shri Jai Prakash Agnihotri

son of Shri Choute Lal Agnihotri

R/O:Ghat Simaria Tahsil:Sihora District: Jabalpur

Deleted as per order Dt. 26.8.15 — 26.8.15 Adv.

F 6-1-04

..**RESPONDENT**

REVENUE REVISION APPLICATION UNDER SECTION 50 OF MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE 1959

Through invoking the revisional powers vested to this Hon'ble Board of Revenue,the revisionists are assailing the legality,validity,correctness and propriety of ORDER passed on 21st October 2003 by the learned Additional Commissioner Jabalpur Division Jabalpur confirming the Order of S.D.O.Sihora passed on 29.05.2003 in Revenue Appeal No.12-A-6:2000-01 arising out from the Order dtd.18.0[illegible].2000 of Tahsildar Sihora regarding recording the name of Central Railway on the agricultural land comprising with Khasra No.497/2 New No.234 admeasuring ara 0.42 Hector situated in village:Ghat Simiariya Tahsil: Sihora Patwari Circle No.76,which was purchased by the revisionists'Late Mother Smt.Rani Bahu Wd/o:Late Pandit

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1978–तीन/03 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–1–17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 17/अ–6/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 21–10–03 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य आवेदक के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सिहोरा ने आदेश दिनांक 18–7–2000 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि खसरानं. 497/2 नया नंबर 234 रकबा 0.42 हैक्टर स्थित घाट सिमरिया तहसील सिहोरा पर सेन्ट्रल रेलवे का नाम दर्ज किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपीलें कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उनकी मां श्रीमती रानी बहू द्वारा 95/– रूपये में अपंजीकृत विकयपत्र दिनांक 24–8–71 द्वारा कय की गई थी और उस विकयपत्र के आधार पर आवेदकों की मां का नाम दर्ज किया गया । विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर आवेदकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आदेश पारित	

R-1978-LT/03(नागपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

किया गया था जो निरस्ती योग्य था इसके उपरांत भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उनके आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि 100/– रूपये से कम राशि के विक्रयपत्र का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानीस्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में सेन्ट्रल रेलवे के नाम से दर्ज है । उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदकों द्वारा निम्न न्यायालयों में ऐसी कोई प्रमाणिक साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, जिनके आधार पर आवेदकों की मां का नाम विवादित भूमि पर अंकित हुआ है और उक्त कारण से उन्होंने आवेदक की अपील को निरस्त किया है । प्रकरण में तथ्यों के संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों एंव अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य